भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2087

उत्तर देने की तारीख 09 दिसंबर, 2024

18 अग्रहायण, 1946 (शक)

जिला स्तरीय खेलों के लिए बच्चों के चयन की प्रक्रिया

2087. श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:
श्री अमर शरदराव काले:
श्री संजय दीना पाटिल:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे :
श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला स्तरीय खेलों में भाग लेने के लिए कस्बों और गांवों से बच्चों के चयन की वर्तमान प्रक्रिया क्या है;

(ख) सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित करती है कि जिला स्तरीय खेलों के लिए चयन प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी हो तथा इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की प्रतिभाएं शामिल हों;

(ग) दूरदराज के गांवों और वंचित समुदायों के बच्चों को जिला स्तरीय खेलों में भाग लेने के समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) सरकार किस प्रकार जिला स्तरीय खेलों तथा चयन प्रक्रिया के बारे में बच्चों, अभिभावकों तथा कस्बों एवं गांवों के समुदायों में जागरूकता को बढ़ावा दे रही है;

(ङ) क्या सरकार ने किसी कमी या सुधार को पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए चयन प्रक्रियाओं की हाल ही में कोई लेखापरीक्षा या मूल्यांकन कराया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा छोटे शहरों और गांवों में बच्चों को अच्छे और नवीनतम खेल उपकरण उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (च): 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण, शहरों और गांवों से जिला स्तरीय खेलों के लिए बच्चों के चयन, एथलीटों की चयन प्रक्रिया के संबंध में ऑडिट करवाने और देश के छोटे शहरों और गांवों के बच्चों को खेल उपकरण प्रदान करने सहित खेलों के विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों की है। केंद्र सरकार महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों में सहायता करती है। तथापि, भारत में युवा खेल प्रतिभाओं की पहचान और उनका विकास इस मंत्रालय के तत्वावधान में भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ,एक स्वायत्त निकाय द्वारा विभिन्न स्कीमों के माध्यम से कार्यान्वित एक सतत प्रक्रिया है। इन स्कीमों में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई), साई प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी), राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी) और खेलो इंडिया स्कीम शामिल हैं। इसका उद्देश्य जिला, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से प्रतिभाशाली एथलीटों की पहचान करना और उनको तैयार करना है। इस प्रक्रिया में प्रतिभा की पहचान हेतु विश्व स्तर पर स्वीकृत वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग किया जाता है, जिसे राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज पोर्टल, खेलो इंडिया ऐप और फिट इंडिया ऐप जैसे मंचों से सहायता मिलती है, इसके साथ ही शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिए मूल्यांकन और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। व्यापक भागीदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस पहल को राज्य खेल विभागों सहित विभिन्न हितधारकों का समर्थन प्राप्त है। साई की स्कीमों के तहत एथलीटों के चयन की प्रक्रिया https://sportsauthorityofindia.gov.in/sai/sai-training-center पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, खेलो इंडिया स्कीम के "खेल अवसंरचना का निर्माण और उन्नयन" घटक के अंतर्गत, देशभर में छोटे शहरों और गांवों सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और अन्य पात्र संस्थाओं को खेल उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, खेलो इंडिया केंद्रों और मान्यता प्राप्त अकादमियों को भी उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत खेलो इंडिया केंद्रों और मान्यता-प्राप्त अकादमियों का राज्य-वार विवरण https://dashboard.kheloindia.gov.in/state-wise-khelo-india-centres पर उपलब्ध है।

****